

## तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975

1975 का सं.4

तम्बाकू उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने के वास्ते उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छब्बीसवीं वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

### अध्याय- ।

#### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।	1	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 है।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
		(3)	यह उस सतारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें:
		*	परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए और विभिन्न राज्यों या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेगी।

- 
- अध्याय -II को छोड़कर अधिनियम के प्रावधान दि 01/01/1976 से लागू हुए देखें भारत के राजपत्र भाग-II धारा 3(ii) में अधिनियम दि.27/12/1975.
  - आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में धाराएँ 10, 11 और भारत भर में धाराएँ 12, 14 व 15 दि. 28/08/1976 से लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के भाग -II धारा 3(ii) में अधिसूचना दि.28/08/1976.
  - महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजराज, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश राज्यों में दि.31/05/1980 से धाराएँ 10 व 11 लागू हुई देखें भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II धारा 3(ii) दि. 31/05/1980.

संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा	2		इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि तम्बाकू उद्योग को संघ अपने नियंत्रण के अधीन लेना चाहिए।
परिभाषाएँ	3		इस अधिनियम में, बज तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
		(क)	“बोर्ड “ से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाकू बोर्ड अभिप्रेत है।
		(ख)	“ अध्यक्ष “ से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
1944 के 1		(ग)	“ संसाधन “ का वह, अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 में है तथा उसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा;
		(घ)	“ व्यौहारी “ से तम्बाकू का व्यौहारी अभिप्रेत है;
		(ड.)	“ कार्यपालक निदेशक “ से धारा 6 के अधीन नियुक्त कार्यपालक दिनेशक अभिप्रेत है;
		(च)	“ निर्यात “ और “आयात “ से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा क्रमशः भारत से ले जाना या भारत में लाना अभिप्रेत है;
		(छ)	“ सदस्य “ से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;
		(ज)	“विहित “ से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(झ)	“रजिस्ट्रीकृत “ से “रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला“ अभिव्यक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अध्याय-III तथा उसके अधीन बताए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
		(ळ)	“रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला“ से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है।

```

* * * * *
* , , , , * * *

```